

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 02/11

संस्थापन दिनांक:-07/01/11

फाईलिंग नं. 233504000602011

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी,

आमला (सामान्य), जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

लल्ला पिता साहबू रहड़वे, उम्र 26 वर्ष

निवासी नाई मोहल्ला आमला,

थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 11.04.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 सहपठित धारा 33 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 05.01.11 को रात्रि 11:30 बजे या उसके लगभग वन परिक्षेत्र आमला अंतर्गत ग्राम मोवाड़ में पचामा रोड पर बारीक चौकीकर के खेत के पास संरक्षित वन में प्रतिषिद्ध कार्य सागौन की 10 नग चरपट की कटाई कर बैलगाड़ी में भरे पाये गये।

2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि अपचारी बालक राजेंद्र पिता किशोरी की उम्र 18 वर्ष से कम होने से उसके विरुद्ध बाल न्यायालय में पृथक से अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.01.2011 को बीट गार्ड मोवाड़ एवं वन रक्षक मुकेश हमराह पचामा रोड पर रात्रि 11:30 बजे गश्ती कर रहे थे। तभी बारीक चौकीकर के खेत के पास से एक बैलगाड़ी की आवाज आयी जिस पर वे लोग बैलगाड़ी की तरफ गये। गाड़ी में सागौन की चरपट भरी हुई थी और गाड़ी में अपचारी बालक राजेंद्र और अभियुक्त लल्ला बैठे थे जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने सागौन चरपट मोवाड़ से सुनील नाम

के व्यक्ति से खरीदकर लाना बताया था। जिसके पश्चात उन्होंने सागौन चरपट नापजोप कर जप्त की थी। मौके का पंचनामा तैयार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध वन अपराध क्र. 687/8 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मौके का नजरी नक्शा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कथन लेख किये गये। विवेचना पूर्ण कर परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष हैं और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर वन परिक्षेत्र आमला अंतर्गत ग्राम मोवाड़ में पचामा रोड पर बारीक चौकीकर के खेत के पास संरक्षित वन में प्रतिषिद्ध कार्य सागौन की 10 नग चरपट की कटाई कर बैलगाड़ी में भरे पाये गये ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

6 शंकर (अ.सा.-1), मुकेश उइके (अ.सा.-2), देवचरण (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वे घटना दिनांक को क्रमशः ग्राम मोवाड़ में वन रक्षा समिति के सदस्य, वनरक्षक, चौकीदार के पद थे। साक्षीगण ने आगे यह बताया है कि उपर्युक्त दिनांक को ग्राम मोवाड़ में बारीक चौकीकर के खेत के पास गश्ती के दौरान रात के लगभग दो बजे बैलगाड़ी से दो व्यक्ति आ रहे थे जिनके पास दस नग चरपट थी। उपर्युक्त साक्षीगण ने यह भी बताया है कि लकड़ी का पंचनामा (प्रदर्श प्री-1) तैयार किया गया था जिस पर उनके हस्ताक्षर लिये गये थे।

7 हंसाराम चौधरी (अ.सा.-4) एवं बी.एस. भदौरिया (अ.सा.-5) ने दिनांक 05.01.2011 को वन परिक्षेत्र कार्यालय आमला में क्रमशः बीट गार्ड एवं चौकी प्रभारी के पद पर पदस्थ रहते हुए रात्रि लगभग 11:30 बजे रामदास चौकीकर खेत के पास बैलगाड़ी में से सागौन की दस चरपट जप्त कर पंचनामा (प्रदर्श प्री-1) तैयार किया जाना बताया है तथा उपर्युक्त चरपट की जप्ती

(प्रदर्श प्री-3) तत्पश्चात् उसे सुपुर्दगी में लिया जाना (सुपुर्दनामा प्रदर्श प्री-3), तत्पश्चात् जप्तशुदा लकड़ी का नाप पंचनामा (प्रदर्श प्री-6) एवं मौके का नक्शा (प्रदर्श प्री-7) तैयार किया जाना बताया है। साक्षी बी.एस. भदौरिया ने अभियुक्त लल्ला को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-8) तैयार किया जाना तथा बैलों को कांजी हाउस भेजे जाने के संबंध में (प्रदर्श प्री-9) का दस्तावेज एवं बैलों की प्रवेश रसीद (प्रदर्श प्री-10) तैयार किया जाना बताते हुए अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। साक्षी शंकर (अ.सा.-1) ने भी लकड़ी पंचनामा (प्रदर्श प्री-1) एवं जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-3) तथा सुपुर्दनामा (प्रदर्श प्री-4) अपने समक्ष तैयार किया जाना बताते हुए उस पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

8 मुकेश उइके (अ.सा.-2), देवचरण (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय रात्रि होने के कारण अभियुक्त कौन थे यह उन्हें नहीं मालूम। बाद में यह मालूम पड़ा था कि किसी सुनील नाम के व्यक्ति से लकड़ी लायी गयी थी। शंकर (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वन विभाग के कर्मचारियों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर मोवाड़ चौकी पर लिये थे और उसे पढ़कर भी नहीं बताया था कि कागजों पर क्या लिखा है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

9 हंसाराम चौधरी (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय जब वे गश्ती करने गये थे तब एक बैलगाड़ी की आवाज आयी थी। साक्षी ने यह बताया है कि उसने ऐसे कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये जिससे यह पता चले कि बैलगाड़ी और बैल दोनों अभियुक्त के ही थे। यह भी पता करने की कोशिश नहीं की कि जप्तशुदा माल किस बीट से काटा गया था और जप्तशुदा लकड़ी किसने काटी थी। पैरा क. 03 में किया गया साक्षी का कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिस पर साक्षी ने यह बताया है कि **उसने मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की और लकड़ियों को सीलबंद नहीं किया था।** इसी पैरा में साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रदर्श प्री-3 के जप्ती पत्रक में न तो अपराध क्रमांक लेख है और न ही जप्ती का दिनांक लेख है तथा पैरा क. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि जप्तशुदा लकड़ी की नाप किस चीज से की गयी थी इसका भी उल्लेख जप्ती पत्रक में नहीं है।

10 बी.एस. भदौरिया (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में यह सही होना बताया है कि साक्षी शंकर (अ.सा.-1), मुकेश (अ.सा.-2) एवं देवचरण (अ.सा.-3) ने **अपने कथनों में अभियुक्त लल्ला का नाम नहीं बताया था** तथा यह भी सही होना बताया है कि हंसाराम चौधरी (अ.सा.-4) ने अपने बयानों में ऐसा नहीं बताया था कि अभियुक्त लल्ला को गाड़ी सहित पकड़ा गया था।

11 पंचनामा (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से यह प्रकट है कि रात्रि 11:30 बजे सागौन चरपट से भरी हुई बैलगाड़ी अभियुक्त लेकर आ रहे थे। उनसे पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया था कि मोवाड़ से सुनील नाम के व्यक्ति से खरीदकर लाये हैं तथा उक्त पंचनामा के अवलोकन से यह भी प्रकट हो रहा है कि उक्त दिनांक को ही सागौन चरपट की नापजोप की गयी। जबकि जप्ती पंचनामा (प्रदर्श प्री-3) में दिनांक लेख नहीं है न ही उस पर अपराध क्रमांक/पीआरओ क्रमांक लेख है। सुपुर्दनामा (प्रदर्श प्री-4) दिनांक 06.01.2011 को तैयार किया जाना दर्शित होता है। जबकि पंचनामा (प्रदर्श प्री-1) के अनुसार घटना दिनांक को ही जप्तशुदा चरपट सुपुर्दगी में दे दी गयी थी। किसी भी साक्षी ने तत्काल पश्चात लिये गये उनके बयानों में यह नहीं बताया है कि बैलगाड़ी में अभियुक्त थे। साथ ही साक्षी हंसाराम चौधरी (अ.सा.-4) एवं बी.एस. भदौरिया (अ.सा.-5) के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि उन्होंने मौके पर बैलगाड़ी में सागौन चरपट के साथ अभियुक्त को देखा हो। साक्षी शंकर, मुकेश, देवचरण वन विभाग के कर्मचारी हैं। उन्होंने भी अभियुक्त को सागौन चरपट लाते या बैलगाड़ी में सागौन चरपट के साथ देखा जाना अपने कथनों में नहीं बताया है। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य एवं साक्षीगण के कथनों से कथित सागौन चरपट अभियुक्त के आधिपत्य से ही जप्त की गयी ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है। साथ ही अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं है जिससे कि यह प्रकट हो कि जप्तशुदा चरपट अभियुक्त के द्वारा ही काटी गयी। साथ ही ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है कि वन परिक्षेत्र के किस बीट से सागौन काटी गयी थी।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

12 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोवाड़ में पचामा रोड पर बारीक चौकीकर के खेत के पास संरक्षित वन में प्रतिषिद्ध कार्य सागौन की 10 नग चरपट की कटाई कर बैलगाड़ी में भरे पाये गये। फलतः अभियुक्त लल्ला को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 सहपठित धारा 33 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 प्रकरण में जप्तशुदा दस नग सागौन चरपट वन विभाग के द्वारा वन विभाग के कर्मचारी बीट गार्ड हंसाराम चौधरी को सुपुर्दनामे पर दी गयी है। वन विभाग के नियमानुसार जप्तशुदा सागौन चरपट का निराकरण किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)